



UPFD010004662006

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद

उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193

विशेष सत्र वाद सं०- 94/2006

राज्य अभियोजनपक्ष

बनाम

जगदीश पुत्र मुलायम सिंह, निवासी- अजायपुर, थाना फरिहा, जिला
 फिरोजाबाद। अभियुक्त।

धारा- 504,506 भा०द०सं०

व धारा 3(1) (X), एस०सी०/एस०टी० एक्ट

थाना- फरिहा, जिला- फिरोजाबाद।

अपराध संख्या- 51/1995,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 51/1995 में अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1) (X) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी (Informant) सालिगराम पुत्र श्री नाथूराम, निवासी- ग्राम चिरावली, थाना फरिहा, जिला फिरोजाबाद द्वारा थानाध्यक्ष फरिहा फिरोजाबाद को प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

"निवेदन करना है कि सालिग राम पुत्र श्री नाथूराम निवासी ग्राम चिरावली के स्थाई निवासी हैं। प्रार्थी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। प्रार्थी 10-07-1995 को शाम करीब 08.00 बजे बस लेकर फिरोजाबाद से ब०स०पा० रैली के लिए आये थे, तो फरिहा से जगदीश पुत्र मुलायम सिंह यादव ग्राम अजायपुर ने हाथ देकर गाड़ी रूकवा ली तो गाड़ी में बैठकर बरथरा पुलिया पर जबरन गाड़ी रूकवा ली तथा कहने लगा कि मुझको कौरारी की पुलिया पर छोड़ कर आयो लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया कि हमारी गाड़ी लेट हो रही है। तो उसने यह कहने पर करीब दो घण्टे तक गाड़ी को रोके रखा तथा

काफी गाली-गलौज की तथा जाति सूचक शब्द कहे एवं माँ बहन की भी गाली-गलौज दी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहिन जी को भी जाति सूचक शब्द कहे तथा भट्टी गाली-गलौज दी। जैसे-तैसे उसको कुछ लोग खींचकर ले गये तो उन्होंने सालिगराम को रैली से वापिस आने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया है। अतः श्रीमान जी से आग्रह किया जाता है। उक्त युवक गुन्डा किस्म का है। जिससे प्रार्थी को जान माल का काफी खतरा है। जिससे प्रार्थी को जान-माल की सुरक्षा की जाय। आपकी महान कृपा होगी।"

3. उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना फरिहा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 51/1995, अन्तर्गत धारा 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)10, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट के रूप में अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 504,506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1) 10, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 09-07-2007 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 सालिगराम	वादी मुकदमा (Informant)
2	PW-2 गोपालबाबू	चिक लेखक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र/तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क- 2

3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र	प्रदर्श क- 4

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त ने साक्षियों द्वारा राजनैतिक रंजिशन बयान देना बताया तथा मुकदमा झूठा चलना बताया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा (X) के प्रावधान के अनुसार- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा।

वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी और जुमाने से दण्डनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 सालिगराम को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष जसराना था। दिनांक 10-07-95 की रात 08.00 बजे बस फरिहा से रैली बी०एस०पी० की भरने सवारी के लिए बरथरा व चिरावली जा रही थी। मैं फरिहा से बस लेकर चला था। बस मेरे चार्ज में थी। मेरी ही जिम्मेदारी कार्यरता लोगों को ले जाने की थी। जगदीश मुल्जिम हाजिर अदालत फरिहा से बैठा था। यह पूरी तरह नशे की हालत में था और बरथरा की पुलिया मैंने कहा कि बस बरथरा जायेगी, चिरावली जायेगी आप उतरकर अपने घर पर जाओं। इन्होंने ताव में आकर कहा कि साले मुझे कोरारी की पुलिया पर छोड़कर आ। मैंने ड्राइवर से कहा भी तो उसने कहा कि गाड़ी लेट हो रही है। इतनी ही बात पर जगदीश ने गाली-गलौज देते हुए जाति सूचक शब्द 'चमरा' का प्रयोग करते हुए कहा कि अभी तो तेरी सरकार वाले हैं तुझे मेरे फर पर होकर जाना पड़ेगा। नहीं जायेगा तो जान के मारने की भी धमकी दी। इसके बाद कुछ लोगों ने इनको जबरदस्ती बस से खींच कर बस से उतारा दिया तब यह मुझे धमकी दे गये थे कि रैली से वापिस आने पर जान से मार देंगे। घटना की तहरीर मेरे लेख व हस्ताक्षर में 4 अ/2 है। पत्रावली पर मौजूद है। निशानी गवाह ने तस्दीक की जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। यह तहरीर मैंने रैली से वापिस आने के बाद दिनांक 14-07-95 को थाना पर दाखिल करके मुकदमा लिखाया था। इस घटना के बाद मैं थाना गया था। तो तत्कालीन एस०ओ० ने कहा था कि अभी रैली तो कर आओ जब रैली से वापिस लौट के आना तब मुकदमा लिखवा देंगे। मुल्जिम जगदीश को मैं घटना से पूर्व से भलीभाँति जानता हूँ।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 उपनिरीक्षक गोपालबाबू को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 14-07-95 को थाना फरिहा पर बतौर का० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा सालिगराम की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 51/1995 धारा 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(X) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम जगदीश के विरुद्ध मैंने मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा कित्ता की गयी थी। चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्शक-2 अंकित किया गया। इसका खुलासा मैंने उसी दिनांक को रपट नं० 24 समय 18.15 बजे किया था। असल जी०डी० नियमानुसार नष्ट हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से लेकर आया हूँ। जी०डी०

पत्रावली पर है, जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। इस जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया तथा जी०डी० नष्ट प्रमाण पत्र पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया।"

10. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 10-07-1995 को समय लगभग 08.00 बजे रात्रि स्थान बरथरा पुलिया अन्तर्गत धारा फरिहा पर अभियुक्त ने वादी सालिगराम को गाली-गलौज और जाति सूचक गालियां देकर प्रकोपित, अपमानित किया एवं जान से मारने की धमकी दिया ? क्या अभियुक्त ने उपरोक्त अपराध यह जानते हुए किया कि वादी जाटव (चमार) जाति का सदस्य है ?

11. घटना के सम्बन्ध में वादी सालिगराम पी०डब्लू० 1 द्वारा थाना प्रभारी फरिहा को लिखित प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 दिया गया, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध सं० 51/95, अन्तर्गत धारा 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (X) एस०सी० एस०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना अग्रसारित की गयी। वादी बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा जसराना का अध्यक्ष था। घटना की तिथि 10-07-95 को रात 08.00 बजे फरिहा से रैली की सवारी भरने के लिए बरथरा और चिलौली जा रहा था। बस फरिहा से लेकर चला था। अभियुक्त फरिहा से बस में बैठा और नशे की हालत में था। वादी ने अभियुक्त से यह बता दिया था कि बस बरथरा जायेगी तथा चिरावली जायेगी, किन्तु अभियुक्त ने आवेश में आकर वादी को कहा साले मुझे कोरारी की पुलिया पर छोड़कर आओ। वादी ने ड्राइवर से ले जाने के लिए कहा लेकिन ड्राइवर ने कहा कि विलम्ब हो रहा है। इतनी देर में अभियुक्त ने गाली-गलौज देना शुरू कर दिया और कहा कि 'चमरे' अभी तो तेरी सरकार बनी है। तुझे मेरे घर पर छोड़कर आना होगा नहीं जायेगा तो जान से मार दूंगा। इसके पश्चात कुछ लोगों ने अभियुक्त को बस से नीचे उतार दिया। अभियुक्त ने जाते समय जान से मारने की धमकी दिया। वादी पी०डब्लू० 1 सालिगराम घटना के दिन ही सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने गया, किन्तु उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। रैली से वापस आने के बाद दिनांक 14-07-95 को मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर प्रदर्श क-1 थाने पर दिया गया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिस दिन की घटना है उस दिन सम्बन्धित थाना प्रभारी ने कहा कि रैली लेकर जाओ रैली से वापस आने पर मुकदमा लिखा जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना के लगभग चार दिन बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया, किन्तु विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का समुचित कारण प्रदर्शित किया गया है। चूंकि घटना वाले दिन वादी बस लेकर रैली में जा रहा था, इस कारण सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि लौट कर आने

पर मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। अभियुक्त को वादी अच्छी तरह से जानता-पहचानता था। प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना वाले दिन 08.00 बजे मुकदमा पंजीकृत कराने गया था और अकेले गया था। प्रति-परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि जगदीश फरिहा में आकर मिला था। हाथ दिया था तो बस रोक दी और वह बस में बैठ गया। वादी बस लेकर बरथरा जा रहा था। जिस समय अभियुक्त ने बस रोकी थी उस समय अभियुक्त ने कुछ नहीं बताया कि उसे कहां जाना है। जबकि बरथरा से अभियुक्त का गाँव 2-3 किलोमीटर दूर था। बचाव पक्ष की ओर से प्रति-परीक्षा में यह सुझाव दिया गया कि चूंकि वादी जबरदस्ती उसे रैली में ले जा रहा था इसलिए झूठा मुकदमा लिखाया गया है, यद्यपि कि वादी इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। कदापि स्वाभाविक नहीं है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी रैली या कार्यक्रम में ले जाया जा सकता है। बचाव पक्ष की ओर से प्रति-परीक्षा में यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि अभियुक्त रैली में नहीं जा रहा था इसलिए बस से धक्का देकर उतार दिया गया, इस सुझाव से वादी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उपरोक्त तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि घटना वाले दिन वादी सालिगराम बस लेकर रैली में जा रहा था। प्रति-परीक्षा में आया है कि जब जगदीश ने अभियुक्त से कहासुनी हुई तब उस समय कोई नहीं था, तब केवल बस में कण्डक्टर और ड्राइवर थे। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि जो तहरीर प्रदर्श क-1 कथित रूप से वादी पी०डब्लू० 1 द्वारा सम्बन्धित थाने पर दी गयी थी, उसमें किसी तिथि का अंकन नहीं है। निसंदेह प्रदर्श क-1 तहरीर में तिथि का अंकन नहीं है, किन्तु उक्त तहरीर में स्पष्ट रूप से वादी ने उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10-07-1995 को वह बस लेकर रैली में जा रहा था। फरिहा से अभियुक्त जगदीश पुत्र मुलायम सिंह यादव निवासी ग्राम अजायपुर ने हाथ देकर रोका था और गाड़ी में बैठने के पश्चात बरथरा पुलिया पर जबरन गाड़ी रुकवा लिया और कहा कि उसे कौरारी की पुलिया पर छोड़कर आओ। ड्राइवर ने ऐसा करने से मना कर दिया। अभियुक्त द्वारा दो घण्टे तक गाड़ी रोकी गयी। गाली-गलौज किया और जाति सूचक गालियां दिया, माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालिया दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में अपशब्द कहे गये। जाते समय अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दिया। घटना स्थल का नक्शा नजरी कागज सं० 5 अ पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें घटना स्थल बरथरा रोड पर पुलिया के पास अक्षर A से दर्शाया गया है। प्रस्तुत मामले के विवेचक अत्यन्त वृद्ध हो गये थे और उन्हें साक्ष्य के लिए इस कारण पेश नहीं किया जा सका। सम्बन्धित थाने से इस सम्बन्ध में आख्या भी प्रस्तुत की गयी थी। अन्य साक्षी सत्यवीर, महावीर, मुरारी को अभियोजन द्वारा उन्मोचित कर दिया गया। शेष साक्षियों की मृत्यु हो

गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का० क्लर्क 307 गोबालबाबू ने साबित किया है। जिन्हें अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित किया गया। जिनके साक्ष्य में आया है कि दिनांक 14-07-95 को वह थाना फरिहा में कान्सटेबल क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उस दिन वादी मुकदमा सालिगराम की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 51/1995, अन्तर्गत धारा 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (X), एस०सी०/ एस०टी० एक्ट बनाम जगदीश दर्ज किया गया। चिक एफ०आई०आर० पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। जिसकी प्रविष्टि रपट सं० 14 के रूप में समय 15.15 बजे की गयी। मूल जी०डी० नष्ट हो चुकी है, जिसका विनिष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रदर्श क-4 साबित किया गया है। प्रति-परीक्षा में कहा कि थाना प्रभारी के मौखिक निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वादी सालिगराम को कोई चोट नहीं आई थी, केवल गाली-गलौज और जाति सूचक शब्दों की गालियां दी गयी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। निसंदेह प्रस्तुत मामले में घटना लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर कारित की गयी है। वादी अनुसूचित जाति का सदस्य था और अभियुक्त को पहले से जानता-पहचानता था। अभियुक्त की ओर से इस बात से इंकार नहीं किया गया कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं था, जबकि इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछे गये जिसके उत्तर में उसने नकारात्मक उत्तर दिया। अभियुक्त की ओर से यह कहा गया कि राजनैतिक रंजिश के कारण उसे फंसाया गया है। अभियुक्त ने स्वयं को समाज वादी पार्टी का कार्यकर्ता होना बताया। मात्र कथनों से रंजिश प्रमाणित नहीं होती है कि वादी आमुक पार्टी का कार्यकर्ता था और वादी आमुक पार्टी का कार्यकर्ता था। झूठा फंसाये जाना का कोई कारण अभियुक्त की ओर से नहीं दर्शाया जा सका है। किसी भी अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु मात्र एक साक्षी के साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा साक्ष्य आकाट्य, तर्क संगत एवं पूर्णतः विश्वसनीय हो। दूसरे शब्दों में न्यायालय का विश्वास जाग्रत करने वाला हो। प्रस्तुत मामले में वादी ने पूरी सदाशयता के साथ कहा कि घटना 10-07-95 को शाम 08.00 बजे रात्रि की है। वह बस लेकर रैली में जा रहा था। जबरदस्ती बस रूकवाकर अभियुक्त उस बस में बैठ गया और अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित स्थान पर ले जाकर छोड़ने के लिए कहा गया और मना करने पर आक्रोशित हो गया और गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वादी के साथ उक्त घटना अभियुक्त द्वारा इस ज्ञान से की गयी कि वादी अनुसूचित जाति जाटव जाति का सदस्य था और उस समय वह राजनैतिक रैली में बस लेकर जा रहा था।

जबरदस्ती बस में सवार होकर निश्चित स्थान पर जाने के लिए धमकी दी गयी। चूंकि विलम्ब हो रहा था, इसलिए उसे ऐसा करने से मना किया गया। अकारण अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया वादी सालिगराम को जाति सूचक गालियां देकर लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया गया और उसे प्रकोपित किया गया। यद्यपि कि जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, फिर भी वादी का साक्ष्य स्वमेव विश्वसनीय प्रतीत होता है। झूठा फंसाये जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अकारण अपमानित करने, गाली-गलौज करने और प्रकोपित करने का विधिक आधिकार नहीं है। वादी द्वारा दिये गये साक्ष्यों से पूर्णतः विश्वसनीय है। उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों पर संदेह प्रकट किये जाने कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के वादी सालिगराम के साथ गाली-गलौज की गयी और जान से मारने की धमकी दी गयी और जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित व अभिन्नस्त किया गया। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) (X) एस०सी० एस०टी० एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त जगदीश को आरोप अंतर्गत धारा 504,506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त की जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उसके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त जगदीश को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 05.02.2024

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब परिवार से हैं। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्त का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त जगदीश निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) (X) अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 05.02.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 05.02.2024 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193